कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर।

पत्र संख्या– / दिनांक, मीरजापुर, मई 18, 2020.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव
पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0 कानपुर।

विषयः ओबरा सी बदायूँ ट्रांसमिशन लि0 द्वारा प्रस्तावित 400 के0वी0 डबल सर्किट जौनपुर ओबरा पारेषण लाइन के निर्माण में कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर में प्रभावित 39.536 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 1800/11/सी–एफ.पी./यू0पी0/ट्रांस/40906/2019लखनऊ, दिनांक 5–3–2020.

महोदय,

ओबरा सी बदायूँ ट्रांसमिशन लि0 द्वारा प्रस्तावित 400 के0वी0 डबल सर्किट जौनपुर ओबरा पारेषण लाइन निर्माण हेतु कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर में प्रभावित 39.536 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में उठायी गयी आपत्तियों के निराकरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 3091/33–1 दिनांक 19 मार्च 2020 द्वारा प्रस्तावक संस्था से अनुरोध किया गया। उक्त के सम्बन्ध में प्रस्तावक संस्था के स्तर की उनके पत्रांक OCBTL/F&WL/43 दिनांक 11–5–2020 द्वारा आपत्तियों का निवारण कर अपेक्षित सूचना/अभिलेख मय संलग्नक सहित उपलब्ध कराया गया, जिसे इस स्तर से परीक्षण कर निम्न प्रकार प्रेषित :–

क्र0सं	उठायी गयी कमियाँ	निवारण
1	प्रस्ताव में आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है, अतः प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वन भूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान किये जाने की स्पष्ट बचनबद्धता संलग्न नहीं है। अतः स्पष्ट बचनबद्धता संलग्न करें।	बचनबद्धता संलग्न है।
2	परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र में एन0पी0वी0 की दर त्रुटिपूर्ण आगणित की गयी है। अतः सही एन0पी0वी0 की दर आगणित कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर आनलाइन अपलोड करें।	परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण में सही एन0पी0वी0 की दर से आगणित कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर आनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
3	परियोजना में प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वन भूमि पर 09 वर्षो का अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन संलग्न किया गया है, जो कि पूर्ण नहीं है। अतः 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित	परियोजना में प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वन भूमि पर 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का

Raj K-2

Scanned by CamScanner

	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन संलग्न कर आनलाइन अपलोड करें तथा संशोधित धनराशि आनलाइन भाग–2 व हार्ड कापी भाग–2 में भी सही करें।	प्राक्कलन कर आनलाइन कर दिया गया है। विस्तृत प्राक्कलन संलग्न है।
4	प्रस्तावित वन भूमि पर प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे बौने (औषधीय) पौधों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न कर आनलाइन अपलोड करें।	प्रस्तावित 39.536 हे0 वन भूमि पर प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे बौने (औषधीय) पौधों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न है।
5	आनलाइन भाग–2 के क्रमांक–5 में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है। अतः सही डाटा फीड करें।	आनलाइन भाग–2 से क्रमांक–5 के " प्रस्तावित वन भूमि वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान के अन्तर्गत आता है।"
6	आनलाइन भाग–2 के Additional information Details में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया है। अतः सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड करें।	आनलाइन भाग–2 के Additional information Details में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड कर दी गयी है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(आशुतोष जायसवाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर।

संख्या– 3459 / 33-1 समदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2– मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
3– महाप्रबन्धक, ओबरा–सी बदायूँ ट्रांसमिशन लि0, मकान नं0–116 ग्रीन पार्क कालोनी, विलासपुर रोड, बरेली।

(आशुतोष जायसवाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर।

Scanned by CamScanner